


Introduction - किसी भी राष्ट्र के निर्माण में और उसके विकास में शिक्षा नीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारे राष्ट्र में हर एक आधुनिक काल में राष्ट्रकों में अपने आदर्श व दर्शन पर आधारित शिक्षा नीति का निर्माण किया है। शिक्षा ही एक मात्र साधन है, जो हमें एक आदर्शनागरिक बनाने में सहायता करती है। शिक्षा हमें ऐसा बना देती है, जिसमें हम स्वयं की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए स्वयं को समाज में स्थापित कर सकें। अतः हर काल में शिक्षा नीति का महत्व रहा है।

History of National Policy of Education (राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतिहास):-

स्वतंत्रता प्राप्त के बाद राष्ट्रीय अवनति विकसित स्थान के लिए सरकार ने National Education की आवश्यकता समझी। जनवरी 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने यह घोषणा की थी, कि एक New Edu. Policy तैयार कि जाएगी। AUG 1985 में भारत सरकार ने एक दस्तावेज/पत्र 'Challenge of Education: A Policy - Perspective Parliament और देश के समने रखा। 1 MAY, 1986 को भारत सरकार ने 19 पृष्ठों के अंग्रेजी में दस्तावेज National Policy of Education - 1986 को जारी कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय [Ministry of Human Resource Development (MHRD)] ने New Edu Policy को सुचारु रूप से लागू करने के लिए Programme of action 1987 भी तैयार किया है।

* Salient features of National Policy of Edu. 1986 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य विशेषताएँ):-



OR
OR
OR

१. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों/४ विशेषताओं कि व्याख्या करें।
 २. के इतिहास पर एक शब्दों में इसका मुख्य बिंदु की
 ३. स्वतंत्रता बाद भारत कि शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संशोधन के लिए कौन किस नीति का माहौल गयी विवेचना करें।

1. समानता के लिए शिक्षा :- देश के हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के समान रूप से शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए और सभी को एक ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि सफलता के समान अवसर सभी को मिल सकें।

2. नारी शिक्षा :- कहा जाता है कि माँ बच्चे कि पहली पाठशाला होती है। जब माँ अर्थात् नारी शिक्षित होगी तब संपूर्ण समाज की शिक्षा मिलेगी। नारीयों की अशिक्षा दूर करने के लिए सहायक सेवाएँ और मॉनीटरिंग कि जायेगी। सहायक सेवा के अंतर्गत Child care centre की स्थापना की जायेगी।

3. अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा :- नयी शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों की शिक्षा का विकास कर उन्हें अन्य जातियों के समान शिक्षित करना है। इसके लिए छात्रवृत्ति/Scholarship अस्थापकों की नियुक्ति, स्कूलों का प्रबंध, आंगनवाड़ी सेवाएँ और Adult Education Centre आदी की स्थापना की जानी चाहिए।

4. अनुसूचित जन जातियों के लिए शिक्षा :- अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जन जातियों के शिक्षा का भी विकास होना चाहिए। इसके लिए भी वही सब प्रबंध करने कि आवश्यकता है, जो अनुसूचित जातियों के लिए होगे। इसके लिए विकास संबंधी नयी-नयी योजनाएँ बनायी जाए एवं उसे लागू भी करना चाहिए।

5. पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा :- हमारे देश की ग्रामीण जनता शिक्षा के मामले पिछड़ी है। पिछड़े वर्ग के लिए साधनों कि कमी के कारण शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में Vocational (व्यवसायिक) Technology (तकनीकी) Education पर विशेष ध्यान दिया जाए।


6. 0यस्कों के लिए शिक्षा :- हमारे देश में आज भी बहुत सारे जनसंख्या निरक्षर है, अतः ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में प्रौढ़/0यस्कों कि शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए।

7. नवोदय विद्यालय कि स्थापना :- देश भर में मैधावी छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाए। जिनके द्वारा-छात्रवास में ही रहेंगे। यह विद्यालय केंद्रीय विद्यालय से अलग होगा।

8. परीक्षा प्रणाली :- १ परीक्षा प्रणाली में सुधार कर अंकों के स्थान पर Grade का प्रयोग किया जाए। और किसी को भी फेल न होने दिया जाए।

Recognition of Education at different Stage:-

(विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की मान्यता)



1. आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा :- यह अवस्था अतिमहत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों को उचित पोषण स्वस्थ शिक्षा, सामाजिक, मानसिक तथा नैतिक आदि सारे development की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चों का हर प्रकार का विकास किया जाता है जिससे वह एक आदर्श समाज की जन बन सके।

2. प्रारंभिक शिक्षा :- प्रारंभिक शिक्षा अथवा Primary education इस अवस्था में बालकों पर और अधिक ध्यान रखा जाता है। -
 (i) 14 वर्ष की अवस्था तक के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित करके शिक्षा की गुणवत्ता में अधिक से अधिक सुधार। पूरे देश में P.T.E.U. की समस्या को सुधारने के लिए (ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड) का अभियान शुरू किया जाए।

3. माध्यमिक शिक्षा :- इसके अंतर्गत एक आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए Secondary Education अतिमहत्वपूर्ण है। इसलिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। जिससे हर क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाए।

4

4. उच्च शिक्षा :- Higher Education में मेधावी छात्रों को ही प्रदान की जाएगी / विश्वविद्यालय में शोध कार्य पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि, चिकित्सा, विधि (Law), तकनीकी तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में नवीन पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।

5. ग्रामीण विश्वविद्यालय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा देने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। जिसमें महात्मा गांधी की Basic Edu के सिद्धांतों को मान्यता मिलेगी। देश का प्रथम ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जनवरी 2005 में चिप्रकूट में नानाजी देशमुख ने किया।

6. शिक्षक शिक्षा :- इसके अंतर्गत देश के शिक्षकों को नयी नयी जानकारी एवं शोध कार्य करने का अवसर दिया जाए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। जिससे भविष्य में भी शिक्षा प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों से बचा जाए।

7. तकनीकी एवं प्रबंधन की शिक्षा :- इसके अंतर्गत ऐसे शिक्षण संस्थान खोले जाए जिससे मानव और मानव द्वारा बनाए यंत्रों से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। वहीं प्रबंधन शिक्षा में मानवीय क्रियाओं के संचालन के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो प्रबंधन शिक्षा से प्राप्त होगा।

निष्कर्ष :- इस प्रकार National Policy of Education 1986, अंशकार में प्रकाश कि किया है। लेकिन नैतिकता के आभाव में इसका विकास नहीं हो पाया। इसमें नैतिक शिक्षा के विकास में व्यसक्त साथ ही सांस्कृतिक संरक्षण पर भी बल दिया यदि इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो देश की शिक्षा में अधिकार बदलव लाया जा सकता है तथा Globalization अग्रदलीकरण के युग में हम अपनी पहचान बनाए रखते हुए, विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं।

The End
☺

Introduction

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जब 3 MAY 1986 में लोकसभा में पारित किया गया तो अक्टूबर 1986 में ही यह योजना बनाई गई कि इस शिक्षा नीति की हर लक्ष्य समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाए एवं आवश्यकता पड़े पर संसद में संशोधन किया जाए। जब विश्वनाथ प्रतापसिंह प्रधानमंत्री बने तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 7 MAY 1990 को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कुछ अमूल्य सुझाव एवं परिवर्तन की सिफारिश की गई।

अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही संशोधित रूप

नयी शिक्षा नीति - 1992 ही प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी कहा जाता है।

नयी शिक्षा नीति 1992 में दिये गये सुझाव :- नई शिक्षा नीति - 1992 के अंतर्गत कुछ बहुमूल्य सुझाव एवं परिवर्तन की सिफारिश (अनुशंसा) की गई जिसमें निम्नलिखित सुझाव हैं :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यों की समीक्षा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय मुख्यांकन समिति [National Policy on Education Review Committee (N.P.E.R.C)] के सहयोग से प्रोग्राम ऑफ एक्शन को निर्धारित किया जाए।
2. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड [Central Advisory Board of Education (C.A.B.E)] के देख-रेख में एक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समिति बनायी जायगी, जो SC, ST की शिक्षा पर नजर रखेगी।
3. प्रत्येक शहर में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करना जिसमें SC/ST के छात्रों को विशेष सुविधाएँ प्राप्त हों।
4. शिक्षा को सर्वभौमिक बनाने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।
5. व्यवसायिक शिक्षा को सरकारी कक्षा के साथ-साथ नौवीं कक्षा से ही संलग्न किया जाना चाहिए।
6. प्रत्येक विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जानी चाहिए।
7. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [All India Council for Technical Edu.] में संशोधन कर इसे और सुदृढ़ बनाया जाए।
8. बालकों के वस्ता (Bag) से किताब का बोझ कम किया जाना चाहिए।

9. गांधीजी के विचार धारकों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रारंभ की जाना चाहिए।

10. अलग-अलग क्षेत्रों में U.G.C [University Grants Commission (विश्वविद्यालय - अनुदान आयोग)] की क्षेत्रीय कार्यालय की प्रत्येक क्षेत्र अथवा राज्यों में स्थापित की जानी चाहिए।

11. विद्यालय में पिछड़े हुए एवं व्यवसायी से जुड़े हुए छात्रों को शिक्षा से जोड़ने के लिए IGNOU [Indira Gandhi National Open University] एवं NIOS [National Institute of Open Schooling (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान)] का विस्तार किया जाना चाहिए।

Note - IGNOU & NIOS ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो class नहीं चलाते, इसमें वे लोग नामांकन ले सकते हैं जो Job में या कोई व्यवसाय से जुड़े हैं और उनके पास इतना Time नहीं है कि नियमित classes कर सकें।

NIOS, IGNOU में नामांकन कराने के बाद वहीं से थारी पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाती हैं। केवल परीक्षा के समय छात्रको उपस्थित होना पड़ता है। परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसे सत्री प्रकार के प्रमाण पत्र दिये जाते हैं जो हर जगह मान्य होते हैं।

पढ़ाई भी हो गयी और Job या व्यवसाय

होना भी नहीं पडा।

12. शिक्षकों को पूर्णरूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

13. प्राथमिक विद्यालय (Primary School) में महिला शिक्षक की नियुक्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

14. विद्यालयों के संचालन एवं कार्यों के निरीक्षण जांच व निरीक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर का बढन किया जाना चाहिए।

15.